doing it because, if a person has a chance to make more money, nobody will sacrifice it. We produce all these cash crops, export them and get enough food in return for that.

Mr. Deputy-Speaker: He may continue on the next day.

13.30 hrs.

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

SEVENTIETH REPORT

Shri A. S. Alva (Mangalore): I beg to move:

"That this House agrees with the Seventieth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 8th September, 1965."

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That this House agrees with the Seventieth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 8th September, 1965."

The motion was adopted.

13.31 hrs.

RESOLUTION *RE*: DEVELOPMENT OF FAMINE AREAS

Mr. Deputy-Speaker: The first resolution is of Shri M. Matcharaju. He has authorised Shri P. Venktasubbaiah to move the resolution.

Shri P. Venkatasubbaiah (Adoni): Mr. Deputy-Speaker, Sir, with your permission, I beg to move:

"This House recommends to the Government that with a view to promote economic development of chronic famine areas of India, a Famine Area Development Authority be established with adequate funds in the Fourth Five Year Plan."

Sir, this resolution has been brought forward with the main intention of focussing the attention of the Government of India to the scarcity conditions prevailing in many part of our country.

Famine is a word known to everybody in India, and especially to certain portions of our country which are endemic so far as famine conditions are concerned.

I would like in this connection just to refer to the *Encyclopaedia Britannica* which has brought out the years in which India had famine conditions. In this book they have mentioned certain areas where there were terrible famine conditions in India with the result that several lakhs of people died for want of food. This book says that famines in India started in 650 A.D. In 941 and 1022 there were great famines in India; entire provinces were depopulated and man was driven to cannibalism. Again, there was a eleven years' famine in the period 1148-59. Then again, in 1344-45 there was great famine in India, when the Moghul emperor was unable to obtain the necessaries for his household. The famine continued for years and thousands upon thousands of people perished of want. Then again; 1396-1407 The Durga Devi famine in India, lasting 12 years. Then, 1661, Famine in India; no rain fell for two years. Then, 1769-70, Great famine in Bengal, when a third of the population perished. Then, 1783, The Chalisa famine in India, which extended from the eastern edge of the Benares province to Lahore and Jammu. Then, 1790-92, The Doji Bara, or skull famine, in India, so called because the people died in such numbers that they could not be buried. According to tradition this was one of the severest famines ever known. It extended over the whole of Bombay into Hyderabad and affected the northern districts of Madras. Again, in 1838, 1861, 1866, 1869, 1874, 1876-78, 1897, 1899-1901 there were series of famines where millions of people died. All these things have been brought out in

[Shri P. Venkatasubbaiah]

this book. And then it goes on to say that of all the countries in the world "Owing to its tropical situation and its almost entire dependence upon the monsoon rains, India is more liable than any other country in the world to crop failures, which upon occasion deepen into famine. Every year sufficient rain falls in India to secure an abundant harvest if it were evenly distributed over the whole country; but as a matter of fact the distribution is so uneven and so uncertain that every year some district suffers from insufficient rainfall. In fact, famine is, to all intents and purposes, endemic in India, and is a problem to reckon with every year in some portion of that vast area ....Famines seem to recur in India at periodic intervals, which have been held to be in some way dependent on the sunspot period. Every five or ten years the annual scarcity widens its area and becomes a recognized famine."

These are the factors that have been pointed out by many people, and even the British Government were concerned with the famine conditions and from time to time they were appointing Commissions to go into this question and devise ways and means for the eradication of famine.

So far as our knowledge goes, in India nearly 30 million people are affected by famine. If all these parts that are affected by famine are taken together and pieced together, it will be as big as a State in our country. So I feel that the Government's attention must be drawn to this, and I wish to urge upon the Government to see that measures are formulated to eradicate famine in this country.

I am aware of the fact that from time to time Government have been taking measures, after our independence, and that during the First, Second and Third Plan periods Government have been endeavouring and doing their best to eradicate famine in our country. I only want to emphasize the fact that there must be a specific and co-ordinated action in this direction and also that there must be an authority which is solely charged with the work of eradication of famine in this country.

Very recently, we are very happy to note, a similar development authority has been formulated for desert areas. I wish that the same type of assistance should be given to these famine-affected areas. As I told you, Sir, from time to time, to eradicate famine in this country, even during the British regime, several measures were taken. If you could go back to the time of construction of the Godavari barrage in Andhra and some other projects on the river Krishna, they go to show that in those days the British Government had constructed these irrigation projects mainly for the purpose of eradication of famine in those areas. A great engineer like Sir Arthur Cotton was also deputed to go there to construct some of these irrigation proects in order to see that famine is driven out of this country.

These famine conditions prevail mostly in the south—Madras, Andhra, Mysore, and to some extent Maharashtra—and also regions in the north like Rajasthan, Gujarat and South Bihar. These are called endemic famine-affected areas. We know the experience of the famines there. Every two years we get famine, and especially my part of the area, known as Rayalaseema, is the blacket spot in our country. Every two years famine occurs there. I may tell you, Sir, that the late Pandit Nehru, when he came to our area, saw thousands of gruel centres being opened. And the most respected people, people who have got the wherewithal to feed themselves, were not able to get foodgrains they had to go to these gruel centres and wait for hours together to get gruel. That was the condition, and he was very much concerned about the famine conditions there.

The Tungabhadra project also was designed purely to eradicate famine

conditions in this area. In Rajalaseema, especially, even the date of birth is calculated with reference to the occurrence of famine. When a person is asked about the date of his birth, this is how the question is put: how old were you when that famine occurred; were you born before that famine or after that famine? That has been a by-word so far as our districts are concerned.

There is also a story about the absence of rains in these parts. It seems Lord Indra ordered all the clouds not to rain on the Rayalaseema area. Unfortunately, there was a deaf and blind cloud. The deaf could not hear, the blind could not see. So they rained there accidentally. Then it appears Indra chastised them and asked them why they violated his instructions. The clouds replied, "It is also good; we rained there but we do not want to rain there any more, because when the rains come the people who have got seedlings will put them into the field, and now we do not rain further, they will be deprived of their seeds also". That is the story that is prevalent in our parts.

During these two or three Plan periods, though the Government has been doing its best, it has not been doing it in a co-ordinated or comprehensive manner, to spot out these famine-affected areas and formulate a comprehensive scheme. Several reports were prepared. Several people, economists, engineers and others, were asked to visit these areas and submit reports to the Government. The Famine Commission Report, the irrigation report and also the report on the development of Rayalaseema area, all these are with the Government. What is to be done is, Government has to see that these areas are rendered free from famine.

Sir, protection from famine is as important as food production. If famine areas are isolated and given protection, if famine is eradicated from this country, it will in a way be helping increased food production in this country. Several projects have been thought of and formulated. I only wish that there should be a separate authority with sufficient financial outlay to formulate schemes and also to devise ways and means how best to eradicate famine in these famine-stricken areas. I would only suggest that on the analogy of the Desert Development Authority, a similar authority should be constituted for these areas. Fortunately, these areas are rich in mineral resources. The Government can very well utilise those resources and try to start industries which will provide employment opportunities to the people. They can also undertake some irrigation projects and bring water to these areas. There are many tanks in these areas. Even before the British regime, some of our rulers with great foresight constructed hundreds and thousands of tanks. There are actually chains of tanks in some of these areas. The surplus from one tank will act as a channel to the second tank and so on, with the result that not a drop of water is wasted. They are fully conscious of the value of water. Some of these tanks are in a dilapidated condition. They should all be restored.

Sir, I am mentioning all these things only to show that a separate authority will be able to do more substantial work than the Government can do here and there. Under these circumstances, I would only say that the Government should take immediate measures to constitute this authority. There are also other chronic famine-affected areas. There are places like Mysore, Madras, Maharashtra and others. To give the fullest attention to these areas, there should be a well defined agency with substantial financial resources. Only then we will be able to eradicate famine and save these areas from recurring famines. Thereby we will also be able to increase our food production and save these famished people from falling easy victims to many diseases. When a man gets famished, he is liable to get so many diseases. When all these things are taken into consideration, I can only request the Government to

[Shri P. Venkatasubbaiah]

accept this resolution and go ahead with the constitution of a separate authority for developing all these areas and for eradicating famine permanently from them.

Mr. Deputy-Speaker: Resolution moved:

"This House recommends to the Government that, with a view to promote economic development of chronic famine areas of India, a Famine Area Development Authority be established with adequate funds in the Fourth Five Year Plan."

There are two amendments.

Shri Shree Narayan Das (Darbhanga): Sir, I beg to move:

That for the original resolution, the following be substituted namely:—

"This House recommends to the Government to appoint a Committee immediately to carry out a survey with a view to find and delimit as to what are chronic famine areas in the country and to consider the desirability of setting up a Famine Area Development Authority laying down its precise functions, scope and financial implications, if necessary." (1)

Shri Yashpal Singh (Kairana): Sir, I beg to move:

That in the resolution,—

(i) *omit* "chronic"; and

(ii) *after* "Famine Area Development Authority", *insert*—"which may also include the representatives of State Governments". (2)

Mr. Deputy-Speaker: Now, the original resolution and these two amendments are before the House. The time allotted is two hours. Hon. Members might confine their remarks to 7 or 8 minutes.

Shri Priya Gupta (Katihar): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I rise to support this resolution. This should have been taken up by the Government itself just like many other independent actions on certain other heads. This is a vast country. We have got some subjects that are central, some provincial and some concurrent. But there are other aspects also which require the attention of different departments in the centre and also in the States.

Regarding famine areas in India, as the mover of the resolution himself said, the Government should make attempts to develop such areas with a specific provision of funds in the Fourth Five Year Plan, set apart for this purpose. Though we have got some famine relief funds just to give some doles and other things when there is a famine, there has been no attempt on the part of the Government of India to permanently eradicate the causes of famine which are very simple.

There are, Sir, some parts of the country where the people die of starvation. Unfortunately, since the definition of 'starvation' has not yet been finalised and accepted, the government officials, the district magistrates and sub-divisional officers, refuse to declare such deaths as starvation deaths and they attribute some other causes for the deaths of such people. The Government even refuses to declare the areas as flood affected and famine stricken. I represent one such area. I come from Katihar in Bihar. There are 9 thanas—Korah, Barari, Barsoi, Manihari, Balrampur, Kadwa, Azamnagar, Katihar and Baise—which are affected by famine, cumulatively worsening economic conditions of agriculturists there.

There are two reasons for famine in these areas. One is, what you call in Hindi, *sukha*—scarcity of rains. Crops grow up but due to want of rains they turn yellow very early and do not produce anything. Another reason is, in some parts, the crops grow up and are ready for harvest within next few weeks, but before that there comes the

wrath of nature and floods in the Ganges and some other rivers including Fulhar with the result that those areas get submerged. Hundreds and thousands of acres of paddy and jute cultivation which can serve the whole of Bihar and also some other deficit areas, if the Government could take some steps to prevent destruction from floods, get submerged and the crops are destroyed. I am choked to say this. I happened to remain here for three consecutive sessions. Last year, in August, in the Bihar Assembly, they sanctioned an expenditure of Rs. 1,70,00,000 for the construction of a bund called Mallior Bund to save flood affected paddy lands in Manihari, Azamnagar etc. But, I do not know whether it is due to red-tapism between the three departments—the Ministry of Irrigation and Power, the State Government and the Central Water and Power Commission—they could not as yet finalise as to whether it should be taken up or not. More than a year has passed. Do you know what it can do? It can save hundreds of acres of land from destruction of crops two or three weeks before they are harvested. I do not know what is obstructing the construction of this bund. I request the Government to take it up immediately and save the people there. I have seen with my own eyes people seeking roots of grass and other things. For two months they live on that. If the Government refuses to call it a famine area, I do not know what will be the definition of such areas. People want to work. When the harvesting time comes up, the entire agricultural labour, members of whole families, depend on work during the harvesting time. They live in the hope that in two or three weeks the harvesting time will come and they will earn some money. But then the floods come in and hundreds and thousands of agricultural labour are made to remain idle. They have no work. They do not want to beg. They do not want food for nothing. They are ready to work. They ask you to take work from them in exchange for money or ration. Government are unable to do that. They then begin to starve. Whenever there is agitation, you know what the Government do. They come forward with one day's or two days' ration. It is a mockery of solving the problem over there. What is the use? A family comprises of 5 to 7 men and the Government comes forward with a few grammes of food for distribution over there! Then the press will publicise that the District Magistrate and the SDO have been in action.

If this Resolution is accepted and the Central Government takes up this area under its control and makes a provision in the Fourth Plan, I believe our problems can be solved. I do not want to repeat what I have said but I can say again that we are making the unemployment problem very serious because due to floods and scarcity of rains agricultural labour has no work to do in the famine-stricken areas and the people starve. These places have had no development of agriculture and village industries. These people do not bother to know whether they are under the British regime or are independent. You will be astonished to see that for the last 17 years there is no development of roads, only 18 miles metalled road built so far. There are no metal roads and the name of the road is what was constructed there in the Mogul time. The road from the District and Sub-Divisional headquarters to the local block headquarters is not there. You can imagine about educational, economic development and other things in these areas, which are secondary because people cannot have any food, two square meals a day. I, therefore, pray and appeal to both the Irrigation and Power Minister and the Food Minister, who are here, that until such time this Resolution is taken into account they should do something on their own to save this area from the coming floods and sanction demands that are there for the construction of bunds and a few irrigation schemes, whether it is State Government project or the Central Government project, they should take it over as an emergency. That way they should

[Shri Priya Gupta]

kindly help our people so that further famines may not devastate these areas.

Shri Shree Narayan Das: Mr. Deputy-Speaker, Sir, my hon. friend, Shri Venkatasubbaiah, has moved the Resolution for the appointment of a Famine Area Development Authority to be established by the Government. I support the Resolution in view of the fact that in our country, which is wholly dependent on agriculture, even after 18 years of independence we have not made much progress in agriculture and in providing facilities for irrigation which are still very limited although we are taking all steps to bring our agriculture within the region of irrigation everywhere. The time is very far off when we shall be successful in that direction. Therefore it is necessary that we should have a survey of the whole country with a view to locating or delimiting the areas which are visited by famine every now and then.

As has been suggested by my hon. friend, very large areas in practically almost all the States fall a victim to the failure of rains. Due to the failure of rains, there is failure of crops. Prices rise and people are thrown out of employment. Then, because of low nutrition a large number of people fall victims to various kinds of diseases. Due to some failures on the part of Government a large number of people have died also in the last famine in West Bengal. A very large number of people died only because the Government could not take suitable steps to transport food to that area. We see that if certain part of a State falls a victim to famine, we have to carry foodgrains to that part and give employment to people by starting works like construction of railways in that area.

But the purpose of this Resolution is not for rendering relief. The purpose of this Resolution is to cure this disease, to prevent famines from occurring. Therefore my hon. friend has moved the Resolution that the Government should appoint a special authority with a view to take measures that would go to the development of that area by starting certain industries. They may just dig some tanks so that water may be stored there and may be utilised for growing foodgrains.

There are certain other aspects of the question which could be taken up by that Authority. Therefore I have moved a substitute Resolution. There may be certain areas which may be falling a victim to famines and at least I am not certain which are the particular areas. So, we have to delimit those areas so that that particular authority should function in a good way. Therefore I have suggested that an inquiry committee should be set up by the Government immediately and that committee should go and visit every part of the country so as to locate and delimit such areas as will require the measures to be taken by the Authority.

This question is not to be opposed by the Government. The importance of this question is realised by the Government even and at present they are taking some steps. But if a committee is appointed to go into this matter, the committee will go into every aspect of the question, suggest measures and will also consider whether any authority of this kind is necessary for this purpose. If it is not necessary, the question will be given up but if the committee, after inquiry and after making a survey, comes to the conclusion that such an authority is necessary then, as has been pointed out by my hon. friend that one has been appointed for the development of hill areas in the country, on similar considerations there may be reason for the appointment of such an authority for the development of such areas.

I would only request the hon. Minister to have this question examined by the committee and if the committee reports that it is desirable to have an authority of this nature, that autho-

rity should be set up with some powers and sufficient funds for all kinds of development of these areas.

Then, every time when there is famine in any part of the country, we render relief and have to spend much money. But that is not a cure. If we are able to prevent damage in any area of the country by appointing such an authority which will take such measures as will go to the development of these areas on all sides—agricultural, industrial and other kinds of development—it will make them immune from further famines and the people will be benefited by that. Therefore, I request the hon. Minister to accept my substitute Resolution so that this matter could be enquired into and concentrated and co-ordinated efforts may be made for the development of such areas which are chronic famine areas.

श्री यशपाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आज श्री मच्छराजू ने जो रेजोल्यूशन पेश किया है और जिस को श्री वेंकटासुब्बया ने यहां रखा है उस के लिये मैं उन को कांग्रेचुलेशन्स देता हूं। क्योंकि जिस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है वह काम उन्होंने हाउस मे किया है ।

माननीय फूड एंड ऐग्रिकल्चर मिनिस्टर साहब से, जिन का बड़ा भारी यश संसार में है और जिन से सारे देश को आशा है कि वह श्री किदवई की तरह से इस मसले को हल कर लेंगे, मेरा यह निवेदन है कि उन्होंने एक छोटे से मसले को इतना बड़ा बना दिया है जिस को अंग्रेजी में कहते हैं :

"मेकिंग माउनटेन आफ ए मोल हिल"।

14 hrs.

अगर भारत की 45 करोड़ इन्सानों की श्रम शक्ति का आह्वान किया जाये तो वह अरबों लोगों के लिये खाना पैदा कर सकते हैं। अगर यहां 100 करोड़ की आबादी हो तो उस सब के लिये वह पैदा कर सकते हैं। लेकिन सब से बड़ी दिक्कत यह है कि मसले का हल ढूंढने की कोशिश नहीं की जाती। कहते हैं कि किसी की सुई खो गई थी। चूंकि कमरे में अन्धेरा था इसलिये वह बाहर रोशनी में आया और सुई को ढूंढना शुरू कर दिया। जब उस से पूछा गया कि वह बाहर क्यों ढूंढ रहा है तो उस ने जवाब दिया कि चूंकि भीतर अंधेरा है इसलिये मैं बाहर रोशनी में ढूंढ रहा हूं। अगर मिनिस्टर साहब चाहें तो श्री किदवई की तरह से वह एक फसल में इस मसले को हल कर सकते हैं। थोड़ी सी बात को बहुत बड़ा बना कर दिखलाया गया है। मेरा एक तो निवेदन यह है कि इस फूड के मामले से आई. ए. एस. और आई.सी.एस. अफसर हटाए जाएं। यह जो हमारी डेमोक्रेसी की घुड़दौड़ हो रही है उसके अन्दर ये नहीं चल सकते। ये लोग उस वक्त तो सो कर उठते हैं जब किसान पांच घंटे काम कर चुकता है। मैं ने एक जिला अफसर को खुद देखा, वह आई०सी०एस० अफसर थे। उन के पास किसान आए और उन्होंने कहा कि 11 मील तक इतने ओले पड़े है कि उन में फसल का एक दाना नहीं रहा, आप चल कर देख लीजिए। इसका जवाब उन्होंने यह दिया कि हम तुम्हें बन्द करवा देंगे, तुम एप्वाइंटमेंट लिए बगैर क्यों हम से मिलने चले आए। तो आज देश की जिम्मेवारी जिनके ऊपर है वे नौ बजे तो सो कर उठते हैं। मेरा निवेदन है कि इस फूड के मसले को उन के पास से हटाया जाए। यह मामला किसी किसान को दिया जाए, जो कि इसकी दिक्कत को समझ सकता है, अफसर इस दिक्कत को नहीं समझ सकते। आप इस तजरबे को एक प्रदेश में, या आधे प्रदेश में या कम से कम एक जिले मे ही कर के देख लीजिए तो आप को मेरी बात की सचाई का प्रमाण मिल जाएगा। जिन को काम करने की आदत नहीं है, वे काम नहीं कर सकते। इस सिलसिले मे मैं आपको एक

[श्री यशपाल सिंह]

उदाहरण देना चाहता हूं । मैंने देखा कि बी. डी. ओ. की कार आयी, वह खाली थी। मैं ने ड्राइवर से पूछा कि कहां से आए हो, तो उसने जवाब दिया कि मुजफ्फराबाद से आया हूं, जो कि वहां से दस मील दूर था। मैं ने पूछा कि किस लिए आए हो, तो उसने कहा कि बी. डी. ओ. साहब के लिए कागजी नीबू लेने के लिये आया हूं । तो आप देखें कि दस मील का आना और दस मील का जाना, यह बीस मील का सफर किया गया, उस पर सरकारी पेट्रोल खर्च हुआ और ड्राइवर की तनख्वाह भी लगी, तो चार नीबू लाने पर उन्होंने इतना खर्च कर दिया। इसलिए मेरा कहना है कि ये लोग इस काम को नहीं कर सकते क्योंकि इनके दिल में दर्द नहीं है। किसान के बेटे को यह काम दीजिए, वह इसको समझ सकता है, ये अफसर इसको नहीं समझ सकते।

मैं ने देखा सहारनपुर में ग्रो मोर फुड की मीटिंग हो रही थी, उस वक्त एक किसान ने तहसीलदार साहब से पूछा कि किस चीज की मीटिंग हो रही है, तो उन्होंने जवाब दिया कि तुम्हारे मतलब की नहीं है । आप देखें कि अनाज अधिक पैदा करने के लिए जो मीटिंग हो रही है उस के बारे में किसान को कहा जाता है कि तुम्हारे मतलब की नहीं है । इसी लिए मैं कहता हूं कि जब तक आप किसान को आगे आने का मौका नहीं देंगे तब तक यह मसला हरगिज हल नहीं हो सकता।

आज हालत यह है कि देश में चीज पड़ी है पर उसका उपयोग खेतों के लिए नहीं हो रहा है। आज गांवों में कूड़े के ढेर लगे हैं। अगर उसको उठा कर खेतों में पहुंचा दिया जाए तो हमें किसी के सामने फरटीलाइजर के लिए हाथ नहीं पसारना पड़ेगा । यह मामूली सा काम है इसको नहीं किया जाता। मेरा निवेदन है कि इस मसले को हल करने के लिए बोर्ड और कमेटियां बनाने से काम नहीं चलेगा । यह किसान का काम है, उसको दीजिए, वह इस काम को पूरा कर सकेगा। आप देखें कि आज तक जितनी कृषि पंडित की उपाधियां दी गयी हैं उन में से क्या एक भी किसी एग्रीकल्चर के एम०एस०सी० या बी०एस०सी० को या किसी डिप्टी० डाइरेक्टर को दी गयी है। जिनको ये उपाधियां दी गयी हैं उन में से अधिकांश करीब करीब अनपढ़ हैं । लेकिन उनको पीढ़ी दर पीढ़ी खेती का ज्ञान होता चला आया है । आपके अफसर उसके ज्ञान को नहीं पहुंच सकते। अगर आपको खेती का डेवेलपमेंट करना है तो उस के लिए बोर्ड और कमेटियां बनाने की जरूरत नहीं है, किसान को इस काम को करने का मौका दिया जाए तो यह मसला हल हो सकता है ।

अब आप बाढ़ के मसले को लें । मैं ने देखा है कि राइन नदी को कंट्रोल करके रख दिया गया है । लेकिन हमारी गंगा और जमुना बिना नकेल के उंट की तरह चल रही हैं। यदि आप इन नदियों को बांध दें तो देश को बड़ा लाभ हो सकता है आज जो रुपया आप नाच और गाने पर, कल्चरल प्रोग्रामों पर खर्च करते हैं, जो रुपया आज इस तरह की बेहूदगीयों पर खर्च किया जाता है उसे रोक कर गंगा, जमुना आदि बड़े बड़े दरियाओं को बांधा जाए । अगर इनको बांध दिया जाए तो ये नदियां नहरों की तरह चलें । चाहे गंगा हो, या जमुना हो, या घाघरा व राप्ती हो, अगर इन बड़ी नदियों को बांध दिया जाए तो आप को खेती के लिए 20 करोड़ एकड़ जमीन मिल सकती है और इससे बड़ा फायदा हो सकता और आज के जमाने में जब कि दुश्मन हमारे ऊपर हमला कर रहा है हमको किसी के आगे हाथ पसारना न पड़ेगा और हम अन्न के मामले में अपने पैरों खड़े हो सकेंगे । भूखा आदमी ज्यादा देर तक नहीं लड़ सकता । भूखा आदमी लड़ेगा, मगर

उसके लिए एक चीज की जरूरत है। सरकार आज बेकार के जितने खर्च हैं उनको रोक कर उस रुपए को किसान का दुख दूर करने के लिए खर्च करे।

रूस में किसान के लिए आज बड़ा काम किया गया है और वह किसी पर अन्न के लिए निर्भर नहीं है। इसका कारण क्या है। आज रूस का सारा बजट केवल तीन चीजों पर खर्च होता है, बच्चों की शिक्षा पर, खेती की उन्नति के लिए और डिफेंस पर। वे एक पैसा दूसरे देशों से वैसलीन, हैजलीन आदि खरीदने पर खर्च नहीं करते। लेकिन यहां खेती पर खर्च नहीं हो सकता, और चीजों पर खर्च हो रहा है।

मैं ने उत्तर प्रदेश में देखा कि जिन किसानों को बीज दिया जाता है उनसे कहा जाता है कि तुम फरटीलाइजर भी लो, उनको फरटीलाइजर लेना पड़ता है। जिन खेतों में दस दस मील तक पानी का इन्तिजाम नहीं है, न नहर है न ट्यूब वैल हैं, उनमें उस फरटीलाइजर को डालने का परिणाम यह हुआ कि उसने बीज को भी फूंक दिया और बीज भी वापस नहीं निकला।

इसी तरह से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बाढ़ों को रोका जा सकता है यदि समय से हमारे खेतों की जताई हो जाए। आजकल यह होता है कि खेत कल्लर पड़े रहते हैं और जो पानी बरसता है उससे बाढ़ आ जाती है और खेत उपजाऊ नहीं हो पाते। अगर समय से खेतों का टिलिंग हो जाए तो बाढ़ से नुक्सान नहीं हो सकता।

मैं जानता हूं कि हमारे सरजू पाण्डेय के यहां टोंस नदी है। मुगल काल में उसके लिए एक नहर बनायी गयी थी जो सारे शहर का पानी खींच कर ले जाती थी। आज हम देखते हैं कि उस नहर में मवेशी चरते है। कूड़ा करकट एकट्ठा हो रहा है। इसलिए मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि अगर वह इस मामले को हल करना चाहते हैं तो काम-जात को छोड़ कर खेतों में जायें। वहां जाने से यह मसला हल हो सकता है, भगवान उनको ऐसा करने पर यश भी देगा। यह काम प्रैक्टिकली खेत में जा कर करने से हो सकेगा।

Shri H. V. Koujalgi (Belgaum): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I rise to support the Resolution moved by my hon. friend Shri P. Venkatasubbaiah. It is really a very reasonable and a genuine Resolution. If we look to the map of each State, we will find that some part of the State or some part of the district is a scarcity or a famine area. If we look to the history of the last 30 to 40 years, we will see that every second year or third year there is a famine or condition akin to scarcity. And we find that no efforts have been made to eradicate this disease on a permanent measure.

If we look to the measures that have been taken in the past, the only possible remedies are the famine relief code, the land revenue codes and some of the local Acts. According to these remedies, whenever there is a famine or there are conditions akin to scarcity, only temporary measures to relieve the famine-stricken people are undertaken, that is, in the form of giving them some relief works of constructing some roads or digging some tanks or something like that. But these are all temporary measures and the condition of the people has remained the same.

If we look to these areas, the people have remained as backward, as poor, as they were before. So, the object of this Resolution is to see that these areas are developed and the economic condition, the standard of living, of the people should be raised to that of persons living in other areas.

Sir, I come from a scarcity area—half of my constituency is a famine-stricken area—and every third year

[Shri H. V. Koujolgi]

there is a famine. I have seen the horror and the difficulties of the people that have been experienced by these people. Sometime back, the Mysore Government also considered this idea of tackling this famine problem on a permanent basis. But the Government found it difficult to provide sufficient funds for such works. That is why it is better that the responsibility is taken by the Centre also. It is no use saying that this particular famine area comes within a particular State and that the State should tackle it. Permanent measures will have to be taken. That is why the help of the Central Government is necessary. As suggested by the Mover of the Resolution, sufficient funds will have to be provided for in the Fourth Five-Year Plan and it will have to be tackled on a permanent basis. Whatever it is possible, in these famine-stricken areas, priority should be given to irrigation works—constructing tanks and major and minor irrigation. Special attention should be given to these works and they should be constructed first as compared to other areas.

Secondly, some industries will have to be started there because, in these areas, the rainfall is very scanty and irrigation projects are not feasible in all the areas. So, some industries, both major and minor, will have to be started and the Government will have to pay special attention to this also. Then only the economic development of these areas is possible. I submit—one of the amendments is there—there should be objection to first investigating which are the famine-stricken areas in the whole of the country and then seeing what measures are to be taken with regard to the particular conditions in each of the areas. I support this Resolution.

श्री सरजू पाण्डेय (रसड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो प्रस्ताव सदन के सामने आया है उस में इस बात की मांग की गई है कि सरकार को सूखे को कंट्रोल करने के लिए एक फेमिन एरिया डेवलपमेंट अथारिटी नियुक्त करनी चाहिए, मैं इसका समर्थन करता हूं ।

मुझे ऐसा लगता है आज की मौजूदा समस्यायों की पकड़ सरकार के हाथ में नहीं है । जितने भी सवाल उठते हैं, सूखे की समस्या हो, खेती की समस्या हो मुझे तो यह भी कहने में कोई हिचक नहीं होगी कि हमेशा हाउस को और देश को मंत्रियों द्वारा गलत सूचनाएं दी जाती हैं । सरकार की ओर से सिर्फ आंकड़े दे दिये जाते हैं और अगर उन आंकड़ों को पढ़िये तो मालूम होता है कि वे एक नई दुनिया में रहते हैं । मुझे मालूम है कि अभी एक दिन माननीय श्री हुमायून् कबिर ने यह कहा था कि तेल सब को मिल रहा है और तेल की कोई किल्लत नहीं है जिसका कि हमारे पास न कोई जवाब है और न ही देश के पास कोई जवाब है । दरअसल बात यह है कि हमारे मंत्रीगण नौकरशाही के चक्कर में फंसे रहते हैं और उनको जनता की वास्तविक परेशानियां और कठिनाइयों का पता ही नहीं चलता और आज हालत यह हो गई है कि वे न जनता की भावना का आदर करते हैं और न सदन में सदस्यों द्वारा उठाये गये प्रश्नों और उनके पीछे जो भावना विद्यमान होती है उस का आदर करते हैं । सरकार के मंत्री लोग सिर्फ कागजों के जाल में घूमते रहते हैं ।

श्री बाल्मीकी (खुर्जा) : जलाने वाले तेल की बात है खाने के तेल की नहीं है ।

श्री सरजू पाण्डेय : चाहे खाने का तेल हो या जलाने का तेल हो कोई भी तेल नहीं मिल रहा है । आप पार्टी और कांग्रेस का यहां खयाल रख कर न कहिये और मैं तो समझता हूं कि जब आप बोलने के लिए खड़े होंगे तो आप भी यही कहेंगे जो कि मैं कह रहा हूं ।

मैं भी उन्हीं इलाकों से आता हूं जहां पर कि सूखे की परमानेंट समस्या है । आजमगढ़, गोरखपुर, बस्ती, देवरिया और बलिया आदि यह पूर्वी जिले उत्तर प्रदेश के हैं जहां कि सूखे की समस्या हमेशा मौजूद रहती है । इनकी दुर्दशा के बारे में पिछले दिनों एक माननीय सदस्य ने रोते हुए कहा था जिसके लिए कि पटेल कमीशन बनाया गया । तमाम रुपया खर्च होने के बाद निकला कुछ नहीं । माननीय सदस्य श्री यशपाल सिंह ने कहा कि जिस चीज पर रुपया खर्च करना चाहिए उस पर सरकार खर्च नहीं करती और ऐश व आराम में यह रुपया खर्च किया जाता है । हमारा चार्ज यह है कि रुपये की बहुत फिजूलखर्ची होती है जिसका कि जिक्र इस सदन में सैकड़ों बार हुआ है और हमारी मांग है कि उस फिजूलखर्ची को कतई बंद किया जाय । डेवलपमेंट की आड़ में ए० डी० ओज० बी० डी० ओज० की फौज तैयार की गई है जैसे घोड़ा ए० डी० ओज, मच्छर ए० डी० ओज०, न मालूम दुनियां भर के कौन कौन अफसर मुकर्रर कर रक्खे हैं जिन पर कि जनता का करोड़ों रुपया सत्यानाश होता है । समझ में नहीं आता कि जिले में कितने दुनिया भर के ए० डी० ओज० आपने इकट्ठा कर रक्खे हैं ? इन पर खर्च होने वाला पैसा बचा कर उपयोगी कामों पर खर्च किया जाना चाहिए । पानी को रोकने के लिए बांध बनवाने पर रुपया यदि खर्च किया जाय तो इससे सिंचाई बढ़ सकती है और देश का खाद्यान्न का उत्पादन भी बढ़ सकता है । जो कुछ भी कागजों में लिखा हुआ है वह सब झूठ है और इसका सबूत यह है कि पूरे देश में जितनी भी सिंचाई लायक जमीन है उसमें से अब तक 26 परसेंट पर सिंचाई का प्रबन्ध हो सका है । मेरा कहना यह है कि अगर सूखे से मूल्क को बचाना है तो आप जो फिजूल-खर्ची करते हैं, इधर, उधर डांस में, नाच में, गानों में और विकास मेलों आदि में, वह बंद की जाय और वही पैसा सिंचाई और अन्य साधन सुलभ करने के लिए खर्च किया जाना चाहिए।

यह कृषि पंडित के लिए जो इनाम दिये जाते हैं वह बिलकुल गलत लोगों को और अधिकारियों के चापलूसों को दिये जाते हैं । मैं अगर चाहूं तो केसेज दे सकता हूं जहां कि गलत लोगों को यह इनाम महज चापलूसी के ऐवज में दिये गये । होता यह है कि दूसरे के खेतों से अनाज लाकर अपने गल्ले में मिला देते हैं और अधिकारियों को अपने घर में बिठाते हैं, चाय, पानी आदि से उनका स्वागत करते हैं और इस तरह से उनको दिखा कर संतुष्ट करा देते हैं कि यह इतना पैदा हुआ जो कि सोलहो आने गलत होता है और चापलूसी करके कृषि पंडित हो गये हैं । आखिर यह झूठ किसी न किसी दिन तो खुलेगा ही ।

हालत इस हद तक आज पहुंच चुकी है कि बिहार में लोग जड़ें खा रहे हैं । हमारे यहां ताल में एक घास होती है जिसको कि लैंड़ई कहते हैं । गड़नी, और पुरइन के पत्तों पर लोग अपनी जीविका का निर्वाह कर रहे हैं जब कि दूसरी तरफ

[श्री सरजू पाण्डेय]

हम देखते हैं कि आप इस तरह की फिजूलखर्चियां कर रहे हैं । सरकार को यह याद रखना होगा कि सिर्फ आंकड़ा-शास्त्रीय का विवेचन करने से ही मूल्क का पेट भरा नहीं जा सकता है । आज देश के ऊपर संकट है, हर आदमी परेशान हैं, सारे देश में एक तरीके से आग लगी हुई है, कहीं भी पानी नहीं बरसा और आंकड़े आ रहे हैं कि देश में बम्पर क्रोप हुई है । इस तरह की जो मनगढ़न्त और गलत खबरें आपको देते हैं वे दरअसल नौकरशाही है जिसको कि जनता से कोई मतलब और सरोकार नहीं है । दरअसल नौकरशाही मुल्क के लोगों को धोका देती है और गलत आंकड़े सरकार के सामने पेश करती है । किसान रोते रहते हैं और चिल्लाते रहते हैं और वहां वह जाने की कोशिश नहीं करते हैं । कांग्रेसी एम० पीज० और एम० एल० एज० भी इसको अच्छी तरह से जानते हैं कि अधिकारीगण उन के साथ किस तरह से पेश आते हैं ? रूलिंग पार्टी के सदस्यगण जब अधिकारियों के पास जनता की कठिनाइयों और शिकायतों को लेकर जाते हैं और कहते हैं कि हमारे साथ चल कर देखिये कि सूखे की क्या हालत है तो वह झट से उनको यह उत्तर दे देते हैं कि यहां कोई गड़बड़ नहीं है हमने लेखपाल से रिपोर्ट मंगा ली है, आप कोई चिन्ता न कीजिये और तशरीफ ले जाइये और वे बेचारे अपना सा मुंह लेकर वापिस चले जाते हैं ।

अभी इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल पर जब सदन में बहस हो रही थी तो उस पर सारे मैम्बरों ने इस बात की मांग की थी कि बीमे का नेशनलाइजेशन किया जाय । सारे मैम्बरों की नेशनलाइजेशन के पक्ष में राय थी । किसी ने भी इस विचार का विरोध नहीं किया तो भी सरकार उनकी भावना का आदर नहीं करती और बीमे का नेशनलाइजेशन नहीं करती । आज जरूरत इस बात की है कि सरकार यह जो बी० डी० ओज० की फौज पर पैसे का भारी अपव्यय कर रही है उसे बंद कर उपयोगी कार्यों में खर्च करे । पुराने तालों की मरम्मत कराये, बांध बनवाये और नहरों आदि द्वारा सिंचाई के साधन अधिक मात्रा में किसानों को उपलब्ध करे ।

गांवों में जितनी सरप्लस जमीन है और जो कि ग्राम समाज की सम्पत्ति है उस पर गांवों के गुण्डों ने कब्जा कर लिया है, उन्हें उससे बेदखल करने के लिए सरकार आवश्यक कानून बना कर कार्यवाही करे । मवेशियों के लिए चरागाह का बंदोबस्त होना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का समय समाप्त हो गया है ।

श्री सरजू पाण्डेय : बस एक मिनट में मैं समाप्त किये दे रहा हूं । मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इस प्रस्ताव को स्वीकार करें । अगर आप इसे इस रूप में स्वीकार नहीं कर सकते हैं तो इसमें संशोधन कर लीजिये और उसके अनुसार आप कानून बनाइये लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि सरकार देश को सूखे की अवस्था से बचाने के लिए कोई एक पुरजोर कदम उठावे जिससे कि इस देश की रक्षा हो सके । मुझे उम्मीद है कि मंत्री जी इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे और मैं प्रस्तावक महोदय से यह अनुरोध करूंगा कि वे अपने इस प्रस्ताव को वापिस न लें ।

Shri D. J. Naik (Panchmahals): I support the Resolution moved by my hon. friend, Shri Venkatasubbaiah. I

have worked for relief in the famine areas and I really congratulate my friend, Shri Venkatasubbaiah, for moving this Resolution appealing to the Government to establish a Famine Areas Development Authority.

I was associated with Thakkar Bappa who organized relief work in various areas of India. I do remember that, in 1920, there was a great famine in some parts of Gujarat and he organized relief work and it was from then onwards that I was associted with him. I recollect with vivid memories the agonies of the people and their sufferings. Therefore, I appeal that this Authority should be established as early as possible. Various famines have occurred in this country in the past. A very big list from the Encyclopaedia of Britannica has been given by my hon. friend Shri P. Venkatasubbaiah, but in living memories, I know that various famines have visited our country. During the years 1900, 1901 and there was a great famine called *Chappanya* in our area which affected many parts of Gujarat and Rajasthan in which many people died and many heads of cattle perished. After that, the famine relief code was enacted by the British Government in those days. We are even today providing relief according to that old code. No amendment has been made, so far as I am aware to that code. That old rusted code is of no avail nowadays. We should look at it from a new angle and relieve the distress of the famine-stricken people, on a permanent basis. No doubt, some relief measures are taken and also steps are taken to provide some employment to those people when a famine visits the area. But that is only a temporary measure. Some permanent kind of measure should be taken by Government to develop the famine areas.

I remember that in 1951-52, a famine commission was appointed by the Government of India when there was a great famine in Bijapur, Rayalaseema and the northern parts of Gujarat. That commission visited my area also. Some recommendations were made to Government by that commission. I do not know what recommendations have been implemented by Government so far. So, I suggest that immediately something should be done to relieve the sufferings of the people on a permanent basis.

In India, only 20 per cent of the land is under irrigation. We should increase the area under irrigation and increase that percentage. More areas should be brought under irrigation. There are various schemes in this regard but they are mostly in the areas which are not affected by famine. I would suggest that whenever irrigation schemes, whether they be major or minor or medium, are taken up, first preference should be given to these famine areas which are every now and then affected by famine. As far as my district is concerned, I can say positively that every third year is a bad year and every fifth year is a scarcity or famine year. Nothing has been done so far to improve the situation.

I had organised relief work in that area as the president of the district local board, and about a crore of rupees might have been spent in that small area—giving scarcity years from the year 1919-20 to 1960—to provide temporary relief to the people. If only that one crore of rupees had been spent on irrigation works and to provide some industries on a permanent basis, I think the area would have been rid of the sceptre of famine.

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao): What is the hon. Member's district?

Shri D. J. Naik: It is Panchmahals. I have worked for famine relief, and I know as the president of the district local board how much money has been spent in that one district alone during the years 1920 to 1900

[Shri D. J. Naik]

Therefore, I suggest that some permanent solution should be found for these areas. My hon. friend Shri Shree Narayan Das has moved an amendment to investigate what the famine areas are. I think Government are already aware of the areas which are chronically famine-affected areas. So, there is no point in further investigating and then establishing an authority, because that would take much time. Since this problem is a very important and urgent problem, it should be taken up as early as possible just as the desert development programme has been taken up. Just as a desert development authority has been instituted, likewise, I would suggest that for the famine areas, a famine areas development authority should be immediately set up. I know that our Food and Agriculture Minister hon. Shri C. Subramaniam, and our Irrigation and Power Minister, Dr. K. L. Rao, are very capable men. I appeal to them to take up this matter immediately and do whatever they can and to allocate some more funds in the Fourth Plan for developing famine-affected areas.

श्री बाल्मीकी : उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़ा महत्वपूर्ण विषय है । क्या इस का समय बढ़ाया जायेगा ?

श्री रामसेवक यादव (बाराबंकी) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सारे देश में अकाल की स्थिति है और जिस स्थिति में आज देश है, जो सरकार की नीति है और उस नीति पर चलने के जो नतीजे निकल रहे हैं, उनसे ऐसा लगता है कि शायद हर वर्ष देश के किसी न किसी कोने में अकाल और अभाव की स्थिति रहेगी । मैं समझता हूं कि जब देश की यह स्थिति हो, तब जो प्रस्ताव सदन के सामने आया है, वह बहुत सामयिक है, जिस की ओर इस सदन का, माननीय खाद्य मंत्री और सिंचाई मंत्री का ध्यान जाना चाहिये ।

मैं यह भी सोचता हूं कि जहां तक डेवेलपमेंट एथारिटी की स्थापना का प्रश्न है, यह सही है कि उसके बारे में इस सदन में चर्चा हो जाये, लेकिन उस एथारिटी के बन जाने से इस समस्या का हल होगा, मैं समझता हूं कि वह स्थिति नहीं है, क्योंकि तीन पंचवर्षीय योजनायें चली हैं और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की तैयारी है, लेकिन फिर भी इस देश के खाद्य संकट और अकाल की स्थिति में कोई बदल नहीं हुआ है । इस लिए आज सारा मामला दृष्टि का हो गया है । क्या हमारी दृष्टि है, क्या हमारी नीति है और कैसे हम इस समस्या का हल करेंगे, इस पर विचार करने की आवश्यकता है ।

अगर इस विषय मे विचार किया जाये, तो मालूम होगा कि अकाल और अभाव का मुख्य कारण है बाढ़ और सूखा । आज सारा देश बाढ़ और सूखे की समस्या से दो चार है—किसी इलाके में बाढ़ है और किसी इलाके में सूखा है । अभी एक माननीय सदस्य ने कहा—और आंकड़े भी यह कहते हैं—कि सारे देश में 31 करोड़ एकड़ भूमि में खेती होती है, लेकिन उस में केवल 6 करोड़ एकड़ भूमि में पानी की व्यवस्था है और बाकी सारी खेती आसमान के सहारे चलती है । ठीक से पानी बरस जाये, तो खेती अच्छी हो जाती है और अगर पानी नहीं बरसता, तो खेती सूख जाती है । उस खेती की सिंचाई की व्यवस्था आज तक नहीं हो पाई है, हालांकि तीन पंच वर्षीय योजनायें बीत चुकी हैं । इस लिये सिंचाई की व्यवस्था की आवश्यकता है ।

जहां तक नदियों की बाढ़ का प्रश्न है, योजनाओं के अन्तर्गत कई सड़कों और नहरों का निर्माण हुआ है और नई रेलवे लाइनें बिछाई गई हैं, लेकिन चूंकि योजना में कुछ

त्रुटि रही और सब बातों पर व्यापक दृष्टि नहीं रखी गई, इस लिये उन इलाकों में भी बाढ़ आ जाया करती है, जहां पहले कभी बाढ़ की समस्या नहीं थी । इस लिये इन सब बातों पर ध्यान जाने की आवश्यकता है ।

जैसा कि मैं ने कहा है, केवल एथारिटी बन जाने से काम नहीं चलेगा—दृष्टि का सवाल है । जैसे, आज सारे देश में छोटे और बड़े का जबर्दस्त फर्क है । इस प्रस्ताव में कहा गया है कि जो इलाके अकालग्रस्त हैं, उन की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये । अगर उसी के साथ इस देश की आबादी को जोड़ा जाये, तो उन मनुष्यों के लिये भी व्यवस्था करने की आवश्यकता है, जिन की आमदनी कम है ।

हम ने तीन पंच वर्षीय योजनाओं और अठारह सालों के समाजवाद में देखा कि छोटे आदमी और बड़े आदमी की आमदनी में फर्क बराबर बढ़ा है, घटा नहीं है । अगर समाजवाद का कोई उद्देश्य हो सकता है, तो वह यह है कि छोटी आमदनी और बड़ी आमदनी का फर्क घटे । (Interruption) केवल समाजवाद को मानने से काम नहीं चलेगा । इन अठारह सालों में समाजवाद का कीर्तन किया गया है, उसका कार्यक्रम नहीं बना । केवल समाजवाद का नाम लेना से समाजवाद आने वाला नहीं है—उसके लिय कार्यक्रम बनना चाहिये । समाजवाद एक सिद्धान्त है और अगर उस के अनुरूप कार्यक्रम नहीं बनता है, तो केवल समाजवाद की बात कहने से काम नहीं चलने वाला है । मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि इन अठारह सालों में छोटे और बड़े का फर्क घटने के बजाय बढ़ा है । मैं चाहूंगा कि अगर सरकार में हिम्मत हो, तो वह इस बारे में जम कर बहस कराये कि छोटी और बड़ी आमदनी का फर्क बढ़ा है या घटा है । उस से पता चल जायेगा कि हम समाजवाद की ओर बढ़े हैं या पूंजीवाद की ओर बढ़े हैं ।

भले ही श्री राव बड़ी ईमानदारी से चाहें कि हम सारे देश के खेतों को पानी दें, अगर श्री सुब्रह्मण्यम् चाहें कि हम सारे देश को अन्न दें—मैं उनके इरादों को चेलैंज नहीं कर रहा हूं, उन के इरादे नेक हो सकते हैं—लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, क्योंकि उस के लिये धन चाहिये । मैं इस सम्बन्ध में भ्रष्टाचार की बात तो नहीं कहूंगा, क्योंकि योजनाओं में तीस प्रतिशत धन फिजूलखर्ची और भ्रष्टाचार में चला जाता है । अगर सरकार की ओर से सिंचाई की योजना तेजी से चलाई जाय, तो पांच वर्ष में सारी खती को पानी दिया जा सकता है । आज-कल हमारे देश में एक संकट-कालीन स्थिति है, जब कि हमारे नौजवान बहादुरी के साथ दुश्मनों से लड़ रहे हैं । मैं उनको बधाई देना चाहूंगा । आज वे जो काम कर रहे हैं उसके लिये हम उनकी जितनी प्रशंसा करें थोड़ी है । आज सारे देश की भावनायें उनके साथ हैं, हम सब की भावनायें उनके साथ हैं । 48 करोड़ लोगों की शक्ति के साथ वे वहां लड़ें, मन के साथ लड़ें । उनके लिये एक रास्ता यह भी है कि यह जो अकाल की स्थिति है यह दूर हो । लेकिन इस सब के लिय धन कहां से आएगा । इस धन को प्राप्त करने के लिये आपको साधन भी ढूंढने होंगे । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 100 और 1000 रुपये माहवार आमदनी का रिश्ता कायम होना चाहिये । एक सौ से कम किसी को न मिले और एक हजार से अधिक किसी को न मिले । एक हजार से ऊपर जो खर्च करते हैं, उसको आप ले लें । जो रकम आपको प्राप्त हो उसको आप सिंचाई आदि में लगायें । जब मैं सौ और हजार का सवाल उठाऊंगा तो कुछ लोग कह देंगे कि सौ रुपये कम से कम कैसे हम कर सकते हैं, कैसे दे सकते हैं, यह बड़ा मुश्किल काम है । मैं उनको बताऊंगा कि हो सकता है कि यह बड़ा मुश्किल हो लेकिन क्या हजार रुपये से ऊपर की आमदनी किसी की न हो, क्या यह भी कठिन काम है ? क्या इसको आप नहीं कर सकते हैं । इसको तो आप शुरू करें । जब

[श्री राम सेवक यादव]

आप इसको शुरू करेंगे तो देश को आप, मजबूत कर सकेंगे, तब समाजवाद आयेगा तब अभाव की स्थिति खत्म होगी ।

अन्त में मैं फिर से कहना चाहता हूं कि केवल प्रस्तावों से काम नहीं चलेगा, काम तब चलेगा जब आप इनको कार्यरूप में परिणत करेंगे ।

श्री बाल्मीकी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री मच्छराज के इस प्रस्ताव का जिसको कि श्री सुबैया जी ने इस सदन के सामने प्रस्तुत किया है, समर्थन करता हूं । उन्होंने इस संकल्प के अन्दर यह बात जाहिर की है कि जब हम चौथी पंचवर्षीय योजना पर ध्यान देने जा रहे हैं तो अकाल ग्रस्त क्षेत्रों के विकास को दृष्टि में रखते हुए उनके लिये अपार और पर्याप्त धन राशि उपयुक्त ढंग से जुटाने के लिये एक अकाल ग्रस्त क्षेत्र विकास प्राधिकार स्थापित किया जाय ।

हम दो पंचवर्षीय योजनायें समाप्त कर चुके हैं और तीसरी समाप्त हो रही है । चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में हम कुछ ही देर बाद प्रवेश करने जा रहे हैं। लेकिन तीन पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त कर चुकने के बाद भी यदि आज जो दरिद्रता, आज जो दीनता, आज जो दैन्य और दरिद्रता देश में विद्यमान है, उसका जिक्र किया जाए तो यह प्रसंग बहुत अशोभनीय प्रतीत होता है । आज भी सारे देश के अन्दर, सभी प्रदेशों के अन्दर और कुछ कुछ जिलों के अन्दर भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां चिरकालिक अकाल की स्थिति रहती है और आज से ही वह रहती नहीं आई है बल्कि बहुत पहले पुरातनकाल से रहती आई है । हमारे सभी आर्थिक विकास प्रयत्नों के बाद भी वह दरिद्रता हिल नहीं रही है बल्कि जहां लगी हुई है वहां वह जड़ीभूत हो कर बैठ गई है । जिस प्रकार से पंचवर्षीय योजनाओं के प्रयत्नों से धन उत्पन्न किया जा रहा है, सम्पत्ति उत्पन्न की जा रही है वह सारी की सारी कुछ विशेष व्यक्तियों के हाथों में जा कर एकत्रित होती जा रही है । यह दोषारोपण मैं योजना आयोग पर भी करता हूं और प्रशासन पर भी करता हूं । मैं चाहता हूं कि जो धन और जो सम्पत्ति उत्पन्न की जाती है उसका वितरण भी सही ढंग से होना चाहिये । जब हम समाजवादी व्यवस्था में, समाजवाद में विश्वास करते हैं, समाजवादी अर्थ व्यवस्था में विश्वास करते हैं तो मेरा यह पूर्ण विश्वास है कि उत्पत्ति के साधन और वितरण के साधन संतुलित होने चाहियें, नियंत्रित होने चाहियें, सरकार की निगाह में होने चाहियें, सरकार के प्रभाव में होने चाहियें । सम्पत्ति चाहे खेती में पैदा की जाय या कारखानों में, वह गरीब आदमियों के प्रयत्नों से ही उत्पन्न होती है, गरीब मजदूरों के प्रयत्नों से ही उत्पन्न होती है । आप किसी भी विचार से सोचें आप पायेंगे कि उस धन का प्रभाव उन मजदूरों पर नहीं हो रहा है, उसका लाभ उन मजदूरों को नहीं मिल रहा है । जब तक सरकार इस तरह के सब साधन इकट्ठे नहीं करती है और प्रभाव के साथ इस तरह के प्रयत्नों को लेकर नहीं चलती है, देश की दरिद्रता और देश जिस अकालग्रस्त स्थिति में है, वह दूर नहीं हो सकती है ।

आप देखें कि दरिद्रता का जिक्र ऋग्वेद के दरिद्रता नाशक सूक्त में भी किया गया है । उसका जिक्र आज भी होता है मैं आपके सामने ऋग्वेद का यह मंत्र उपस्थित करता हूं कि जिस में दरिद्रता को एक प्रकार से चेलैंज किया गया है ।

चत्तो इतश्चत्तामत: सर्वा भ्रूणान्यारुषी ।
अराय्यं ब्रह्मणस्पते तीक्ष्णशृंगोदृषन्निहि ।।

अर्थात दरिद्रता वृक्ष, लता, शस्य आदि का अंकुर नष्ट करके दुर्भिक्ष ले आती है । उसे मैं इस लोक और उस लोक से दूर करता हूं । तेज:शाली ब्रह्मणस्पति, दान-द्रोहिणी इस

दरिद्रता को यहां से दूर कर भाओ। एक दूसरे मंत्र में इसका इस प्रकार से जिक्र किया गया है :

भदो यद्दारु प्लवते सिन्धो पारे भपूरुषम् ।
तदा रभस्व दुर्हणो तेन गच्छ परस्तरम् ।।

भर्थात यह जो काठ समुद्र तट के पास बहता है, उसका कोई कर्त्ता (स्वामी) नहीं है। विकृत भाकृतिवाली भलक्ष्मी (दरिद्रता) इसी के ऊपर चढ़ कर समद्र के दूसरे पार चली जाभो।

लेकिन हम देखते हैं कि यह दरिद्रता जा नहीं रही है, यह दृढ़ता से जमी बैठी है। इस भोर भापका ध्यान जाना चाहिये भौर भापको सोचना चाहिये कि कैसे यह दूर हो सकती है। भाज भी देश के भन्दर इस तरह के जो भकालग्रस्त क्षेत्र हैं, जहां भुखमरी है, जहां काम नहीं मिलता है लोगों को करने के लिए, जहां रोजगार के साधन नहीं हैं वहां भापकी जो योजना है, उसके साधन द्वारा उपलब्ध हों। सिंचाई के साधन, छोटी छोटी सिंचाई के साधन जो उन किसान लोगों को उपलब्ध हो जाने चाहियें ये वह उपलब्ध नहीं हुए हैं। इस भोर मैं सरकार का ध्यान भाकर्षित करता हूं कि ये साधन वह उनको उपलब्ध करे। साथ ही साथ खेती के ऊपर बहुत ज्यादा भादमियों का जो बोझ है उसे सरकार को चाहिये कि हलका करे। गांवों के भन्दर छोटे छोटे रोजगार धंधे चलाये, छोटी छोटी दस्तकारियां चलाये। जब तक इस तरह के साधन लोगों को उपलब्ध नहीं किये जाते हैं तब तक भकाल ग्रस्त जो क्षेत्र हैं, उनकी स्थिति को सुधारा नहीं जा सकेगा। भाप नई धरती उपलब्ध करते हैं, नए साधन उत्पन्न करते हैं लेकिन वे बहुत ही भपर्याप्त हैं। खेती के लिए जमीन उपलब्ध करने के लिए बंजर भूमि भादि ली जाती है, यहां तक कि मरघट की जमीन भी ली जाती है लेकिन उसके बावजूद भी हमारा भन्न का उत्पादन बढ़ नहीं पा रहा है। यदि भाप छोटी सिंचाई योजनाभों को शुरू करें, छोटे छोटे उद्योग धंधे वहां खोलें, स्थायी साधन उत्पन्न करें तो बहुत ज्यादा लाभ उनको पहुंच सकता है। सब से पहले जब कभी नाला भाया था, जब कभी बम्बा भाया था, जब कभी नहर भाई थी तब किसान खुशी से नाच उठा था भौर कह उठा था "मेरी बम्बे किनारे खेती, मत बरसे भंगूठा सेती"। भाज भी भनेक क्षेत्र ऐसे हैं जहां सिंचाई के साधन नहीं हैं। भाप उनका प्रबन्ध करें।

इन शब्दों के साथ मैं इस संकल्प का जोरदार समर्थन करता हूं भौर प्रार्थना करता हूं कि जब हम भाज युद्ध की स्थिति में हैं, हम ऐसे प्रयत्न करें जिससे भकाल की स्थिति दूर हो, गरीबी दूर हो तथा भधिक भन्न उत्पन्न हो।

Shri Bakar Ali Mirza (Warrangal): I rise to support the Resolution. In fact, these days there are no chronic famine areas as such because of the mobility of modern days and because of the planning at the centre which enables foodgrains to be rushed to wherever it is wanted. (*Interruption*). For example, Calcutta was mentioned. I would mention Kerala. Are these famine-affected areas? In the great scarcity, thousands of people died in Calcutta. It is situated in a surplus area.

Shri P. Venkatasubbaiah: Man-made famine.

Shri Bakar Ali Mirza: Kerala today is feeling great scarcity. If the Centre had not taken interest there, there would have been a serious famine there. So there is one problem of supply of foodgrains wherever there is need for it.

At the same time, there are certain areas which may be termed as famine-affected areas where the rainfall is low and production is low. These areas require special attention. For example, if the crop fails, what is to be done? The previous British Government in such circumstances

[Shri Bakar Ali Mirza]

used to raise a famine relief fund. But all that was based on charity. You rush any quantity of relief in terms of foodgrains and see that nobody dies. But what are the other effects? In the scarcity areas, the poorest of the poor reside, and once they get this shock of scarcity or failure of rain, it is not only that they do not get food; all their reserves are eaten up, and they face the future with a grim face and sadness and sorrow. Therefore, it is necessary to take notice of those areas especially.

I grant that we are a developing country, and when we plan, we have to select areas which give the maximum return, because we have not to think only of particular areas, however scarce or famine struck it may be, but we have to take into consideration the whole country. At the same time, when you give irrigation project to an area which is suited for it, that area not only benefits from that project; because it is not a scarcity area, there the people already have the power to sustain themselves. And so the old law works: to those who have more will be given.

All right, if you give more to them, you are giving more to the country as a whole. At the same time, if you neglect what you may call backward areas, you are really not doing social justice.

Therefore, this authority is needed not to face famine conditions, because when you declare an area to be famine struck, people are already starving, have eaten up all their reserves. This authority should foresee what is coming, and they should have plans, plans for some projects, some lake or some wells which have beneficial value for the whole country. They should be ready with all their blueprints to go ahead before actually the famine condition begins to prevail.

In Telengana, Rayalaseema, Mysore etc., there are areas of such scarcity. The Tungabhadra project was really designed to meet that end. Also, there is the Pochampad project. The Irrigation Minister is here. That also will irrigate all these areas. I would request the Minister to go about that project with greater speed and greater will. I think the pace of that project is not as satisfactory as it should have been.

So, while we build dams and all that for the country as a whole, there should be plans for these affected areas.

Lastly, I would bring to the notice of the Food Minister especially the point that the main end in view here is increase of food production. I submit that you cannot do that unless you also have units which give the maximum production. A very large area is not a unit that will give maximum production, neither a very small area. There is an optimum area which gives maximum production. Therefore, food production is the only thing in view, and the country should be divided into economic units.

In conclusion, I support the resolution and oppose the amendment. There is a lot of literature on famine. The British Government used to do a lot on this of this kind. So, we know what the affected areas are. The need is to go into action.

Shri A. S. Alva (Mangalore): I support the resolution moved by Shri Venkatasubbaiah. It is an innocent resolution, but it is very timely.

There are several pockets in this country which are either chronic famine areas, or face famine conditions once in every three or four years. In some areas they have to depend on rainfall for production and very often that fails. People living in such areas formerly used to migrate from place to place; they have become nomads, and have been compelled to leave their hearths and homes.

Now things have improved a great deal, and each State Government has taken measures, but they are only of a temporary nature and do not give any permanent relief. On account of community development projects, some relief is given, but that also is not co-ordinated. If there is a central authority to go into these matters, to provide irrigation facilities, or deep wells or industries which will be useful, it will be really a very useful thing.

Shri Yash Pal Singh said that there was no use of creating officers who knew nothing of village conditions, but nobody suggests that people who do not knew these conditions should be members of this authority. What we want is a central authority. Of course, there will be the food, irrigation and so many other departments. This authority will co-ordinate their activities, suggest certain measures and see that they are implemented.

Shri Venkatasubbaiah knows that in Rayalaseema conditions were very bad at one time; now they have improved on account of various measures taken. There are such areas in Mysore State also, four or five districts. You do not get proper rains, and if rain fails, there is actual famine condition. Then, Government either reduce the assessment or dole out some money or give them foodgrains, but that is not enough. We have to keep an over-all picture of all these problems. They have to put their heads together, and irrespective of what the State Governments do, and they are bound to do certain things, this central authority will certainly be very useful, and by means of long-term measures they can actually make conditions bearable and provide amenities to these neglected and unfortunate areas.

श्री शिव नारायण (बांसी) : उपाध्यक्ष महोदय,

"पानी राखो गांव में, बिन पानी सब सून ।
पानी गये न ऊबरे, मोती मानुष, चून ।।

मुझे खुशी है कि हमारे इरिगेशन मिनिस्टर यहां मौजूद हैं । मैंने एक स्पीच में उन का ध्यान दिलाया था कि घाघरा नदी हमारे सूबे में बहती है । उस का लाखों मन पानी बह कर समुद्र में चला जाता है । सरकार की एबिलिटी का नमूना यह है उस पानी को कंट्रोल नहीं किया गया है । दिल्ली में यमुना है लेकिन दिल्ली को पानी नहीं मिलता ।

आज हमारे दो मुख्य सवाल हैं । एक तो डिफेन्स है और दूसरा खाद्य है । खाने का सामान है और लड़ाई का सामान है । इंडस्ट्री में जो डेवेलेपमेंट करें उससे मिलिटरी की तैयारी कीजिए, बम बनाइए, गोला बनाइए और हम को खाने के लिए अन्न दीजिए, इसी प्रकार इस देश की समस्या हल हो सकती है, इसी प्रकार हमारा सालवेशन हो सकता है । हमारी सालवेशन पानी से हो सकता है । फरटीलाइजर से हमारी समस्या हल नहीं हो सकती । आज हमारी मिट्टी सूरज की धूप से सूख रही है, जल गयी है, अगर उसको पानी मिल जाए तो हम आपको अच्छा धान पैदा कर के दे सकते हैं । मैं अपने यहां से आया हूं, हमारे यहां धान अच्छा है, पर पानी की कमी है । आपके ट्यूब वैल के पानी की दर बहुत ऊंची है ।

मैं अब अपने इलाके को छोड़ कर राव साहब का ध्यान बुंदेल खंड की ओर दिलाना चाहता हूं, जहां बुंदेले सरदार हो गए हैं, जहां झांसी की रानी पैदा हुई । उस इलाके का वर्णन मैं आपके सामने करना चाहता हूं । मैं वहां बाई इलेक्शन में काम करने गया तो मैं ने अपनी आंखों देखा कि खंडेला गांव में आदमी और जानवर एक ही तालाब से पानी पीते हैं । मैं कहना चाहता हूं कि आप हम को पानी दीजिए । अगर आपने हमारे पास पानी पहुंचा दिया तो हम आपको कमाकर गल्ला दे सकते हैं ।

मैं फूड मिनिस्टर साहब से आज फिर कहना चाहता हूं कि आप इस फूड मूवमेंट

[श्री शिव नारायण]

को शुरू कर दीजिए । मैं उनको एक बढ़िया सजेशन देना चाहता हूं कि बाजार में जितना भी महंगा अनाज आवे, 36 रुपया या 40 रुपया, आप उसी हिसाब से ले कर उसको जमा कर लीजिए, और आप इस प्रकार सब को खिला सकते हैं और गांव वालों को भी फायदा हो सकता है । ऐसा करने से आप जो सोना अमरीका आदि को अनाज खरीदने के लिए देते हैं वह भी नहीं देना पड़ेगा । आपका सोना बाहर नहीं जाएगा और फूड प्राबलम हल हो जाएगा ।

मैं साफ कहना चाहता हूं कि व्हेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे । आज सरकार को इस दिशा में क्लियर कट नीति अपनानी चाहिए । आज इमरजेंसी के पीरियड में एक एक हिन्दुस्तानी को, चाहे वह अफसर हो या मंत्री हो, या पालियामेंट का मेम्बर हो, यही नारा देना चाहिए कि हम सब एक है । और सरकार को चाहिए कि वह बड़े बड़े सेठ साहूकारों से कह दे कि आज किसी के साथ रियायत नहीं होगी, उनको चाहिए कि वे भामाशाह बन कर अपना गल्ला नौजवानों को खिलाएं । मेरा इरीगेशन मिनिस्टर साहब से अनुरोध है कि जहां सूखा है वहां हमको जल्दी से जल्दी पानी देने का प्रबन्ध करें तो यह समस्या हल हो जाएगी । मेरे दोस्त ने बताया कि इस बारे में कानून बने हैं, लेकिन उन पर अमल होना चाहिए ।

हमारे मित्र सरजू पांडेय यहां नहीं है । उन्होंने कहा था कि उनके जिले में गधा अफसर नियुक्त हो गया है । मैं नहीं समझ सका कि ब्लाक में गधा कैसे अफसर बना दिया गया । अगर ऐसा हुआ है तो उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ी गलती की है । इन्सान तो अफसर हो सकता है, लेकिन अगर उनके यहां कोई गधा नियुक्त हो गया है इससे मुझे शिकायत नहीं है क्योंकि वह कम्युनिस्ट हैं, तो वे उस गधे को ठीक कर लें । हमको नालिज नहीं है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने किसी गधे को अफसर बना दिया हैं ।

तो मैं अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट से कहना चाहता हूं कि यह जो प्रोग्राम हमारे मित्र ने पेश किया है एक अफसर बनाने का अगर वह कोई अफसर नियुक्त करें तो वह ऐसा आदमी हो जिसको इस काम में इंटरेस्ट हो । मैं आपको यहां लखनऊ के एक पोस्ट ग्रेजुएट का एक वाक्य सुनाना चाहता हूं । उसने कहा था कि आप राम राज्य की बात करते हैं, लेकिन जो गांव से लेते हैं अगर उसका चार आना भी गांव को वापस कर दें तो गांव में राम राज्य आ सकता है । इस समय फूड मिनिस्टर और इरीगेशन मिनिस्टर दोनों यहां मौजूद हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अगर वे हमारा विकास करना चाहते है तो हमको पानी दें और मीन्स आफ कम्युनिकेशन दें । आज हमारे यहां बस्ती में आलू बाजार में दो रुपए सेर बिक रहा है लेकिन हमारा आलू नहीं पहुंच सकता । जब हमारा आलू कीचड़ कम होने पर पहुंचेगा तो आलू सस्ता हो जाएगा । मेरा निवेदन है कि अगर आप ब्लाक डेवेलपमेंट करना चाहते हैं तो आप हमको सिचाई के लिए पानी दें और हमको मीन्स आफ कम्यु-निकेसन्स दें, और हमारे डिफेंस को मजबूत करें और नौजवानों को खिलाएं । और किसी चीज पर खर्च न करें । ऐसा होगा तो आप डेवेलपमेंट कर सकते हैं ।

अन्त में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमको बाहर से, अमरीका आदि देशों से, फरटीलाइजर नहीं मंगाना चाहिए, उसका मंगाना बिल्कुल बन्द कर देना चाहिए। हम को पानी दीजिए, हम किसान के बेटे हैं हम आपकी समस्या को हल कर लेंगे । आप इस दिशा में प्रेक्टिकल काम कीजिए, किताबें पढ़ कर खेती नहीं होगी । हम किसान खेती करना जानते हैं, हमको साधन दीजिए, हम आपकी समस्या को हल कर देंगे ।

श्री क० ना० तिवारी (बगहा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा अपना ख्याल है कि जब तक सारी दुनिया दो हिस्सों में बंटी रहेगी और एक देश दूसरे देश के विरुद्ध बराबर लड़ाई की तैयारी करता रहेगा, और उनके बजट का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लड़ाई की तैयारी पर खर्च होगा उस वक्त तक हमारे देश का भी ज्यादा से ज्यादा बजट युद्ध पर ही खर्च होगा और उसका नतीजा यह होगा कि हम जितना रुपया खाद्यान्न के उत्पादन पर लगाना चाहते हैं उतना नहीं लगा सकेंगे।

हमारे कुछ दोस्त कहते हैं कि आज भी हमारी वही हालत है जो कि आज से 15 या 16 साल पहले थी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सन् 1945 में जब बंगाल में ढाई तीन सेर का चावल बिकता था तो 45 लाख आदमी मर गए थे, लेकिन आज जब कि रुपए का 12 या 10 छटांक चावल मिलता है कहीं से भुखमरी की रिपोर्ट नहीं आ रही है। इसके मानी यह हैं कि हमारे यहां उत्पादन बढ़ा है और उत्पादन बढ़ाने के लिए सिंचाई आदि के साधन बढ़ाने पर जो रुपया खर्च किया गया है वह बेकार नहीं गया है, उससे फायदा हुआ है।

हमने बाहर से भी अन्न मंगाया है। कुछ माननीय सदस्य कहते हैं कि बाहर से अन्न मत मंगाओ लेकिन सब को सस्ता खिलाओ। मेरा विचार है कि इस सरकार को बाहर से अन्न मंगाना पड़ेगा, क्योंकि कोई देश आज दुनिया के अन्दर सिवाय आस्ट्रेलिया, कनाडा, अमरीका और फ्रांस के ऐसा नहीं है कि जो बाहर से अन्न न मंगाता हो। 49 साल की आजादी के बाद भी आज रूस ने कनाडा आदि देशों से 6 मिलियन टन गेहूं मंगाया है। इसी तरह से जितने भी देश हैं सब बाहर से अन्न मंगाते हैं और अपना स्टाक बना कर रखते हैं।

मैं देहात का रहने वाला हूं और किसान हूं। मैं कह सकता हूं कि एक दम से अन्न का उत्पादन बढ़ाना मुश्किल काम है। लोग कहते हैं कि अन्न का उत्पादन जल्दी से जल्दी बढ़ाया जाए और देश में अन्न की कमी न रहे, लेकिन यह मुश्किल काम है। आप देखें कि जिन देशों में डिक्टेटरशिप है, जैसे चाइना और रूस, आज इतने दिनों की आजादी और रिवोल्यूशन के बाद भी अन्न की कमी है, तो इसका मतलब यह है कि अन्न का उत्पादन बढ़ाना इतना आसान नहीं है। इसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे पानी का न बरसना या किसी अन्य कारण से फसल का खराब हो जाना। इन कारणों पर किसी सरकार का काबू नहीं हो सकता।

जहां तक हिन्दुस्तान के खाद्यान्न का सवाल है, सरकार के फिगर से मालूम होता है कि सन् 1964-65 में काफी अनाज पैदा हुआ है। फिर क्या वजह है कि कमी है। बहुत से लोग इसके बहुत से कारण बताते हैं। पर मेरा तो खयाल है कि इस स्थिति का सब से बड़ा कारण कंट्रोल और जोनल सिस्टम है। कंट्रोल में सरकार जितनी भलाई समझती है, उससे ज्यादा उसमें बुराई है। जिस चीज पर कंट्रोल होता है उसे आदमी ले कर रख लेते हैं यह सोच कर कि कल मिले या नहीं मिले। अब अगर 45 करोड़ की आबादी में अगर लोग आधा आधा मन गल्ला प्रति परिवार रख लें तो काफी खाद्यान्न घरों में रख लेंगे और वह मारकेट में नहीं आ सकेगा।

दूसरी बुराई यह है कि इससे देश का डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। भारतवर्ष एक देश है लेकिन आज इस जोनल सिस्टम के कारण विभाजित हो रहा है। मैं कहता हूं कि देश के डिसइंटीग्रेशन का यह सबसे बड़ा कारण है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जितनी जल्दी हो सके इस कंट्रोल को हटाइए और कम से कम कोर्स अनाज के लिए जोनल सिस्टम को खत्म कीजिए।

वैसे फूड मिनिस्टर और एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने जो काम किया है उसके लिए मैं उनकी

[श्री क० ना० तिवारी]

तारीफ करता हूं और मैं समझता हूं कि इसी प्रकार आगे भी वह इस काम को करते रहेंगे।

Mr. Deputy-Speaker: The hon. Minister of External Affairs wants some more time.

15 hrs.

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

Mr. Speaker: Shri D. N. Tiwary.

Shri Nath Pai (Rajapur): Sir, how much more time do they want? The Deputy-Speaker said that they want more time. "Some more time" is a bit vague.

Mr. Speaker: We had to take the Calling Attention Notice at 3 O'clock. But probably . . . . .

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Dinesh Singh): The hon. Minister is on his way, Sir.

Mr. Speaker: All right; that will take a few minutes. Shri D. N. Tiwary.

श्री द्वा० ना० तिवारी : अध्यक्ष महोदय, मालूम ऐसा होता है कि हम लोग उस प्रस्ताव से जो कि सदन के सामने पेश है, कुछ हट गये हैं और उस प्रस्ताव पर बहस न कर के हम लोग खाद्य पर बहस कर रहे हैं। जहां तक इस प्रस्ताव का सम्बन्ध है उस का एक लिमिटेड स्कोप है और वह यह कि इंडिया के क्रोनिक फैमिन ऐरियाज के एकोनामिक डेवलपमेंट के लिए एक फैमिन ऐरिया डेवलपमेंट एथारिटी नियुक्त की जाय। ऐसे ऐरियाज के लिए एक डेवलपमेंट एथारिटी बनाई जाय। मुझे खुशी है कि फूड मिनिस्टर के साथ साथ इर्रीगेशन मिनिस्टर भी हैं लेकिन मेरी समझ में फाइनेंस मिनिस्टर का होना भी जरूरी था क्योंकि एक डेवलपमेंट एथारिटी बनाने में उनका भी एक महत्वपूर्ण योग होता।

फेमिन कहां और कैसे होता है? फमिन एरिया दो तरीक़े से डेवलप होते हैं या तो बराबर वहां ड्रौट या बाढ़ हो या फिर डेजर्ट हो। अब जहां तक फैमिन का सवाल है वह गौड मेड के अलावा मैन मेड भी हो सकता है या गवर्नमेंट मेड भी हो सकता है। मैं बतलाना चाहता हूं मैन मेड फैमिन कैसे होता है जसे कि नार्थ बिहार में हुआ। वहां पर गवर्नमेंट के सब साधन मौजूद हैं, बिजली के जरिए सिंचाई का साधन सुलभ है लेकिन वहां का रेट 27 पैसे पर यूनिट है जब कि दूसरी जगह वह 9 पैसे पर यूनिट है। वहां के किसान इस फैसैल्टी को काम में नहीं ला सकते हैं क्योंकि वह बहुत महंगी पड़ती है। हमारे इर्रीगेशन मिनिस्टर साहब ने कहा कि जो किसान सबसिडी के लिए अपील करेगा उसे सबसिडी देने के बारे में हम विचार करेंगे। यदि वह ऐसा समझते हैं कि इतना अधिक चार्ज करना अन्याय है जब कि भारतवर्ष के दूसरे प्रान्तों में 9 पैसे फी यूनिट बिजली का चार्ज है तो नार्थ बिहार में यह 27 पैसे फ़ी यूनिट बिजली का रेट क्यों हो और उन को अपने से ह 9 पैसे फी यूनिट के हिसाब से चार्ज करना चाहिए और उनका यह कहना कि जब किसान उसके लिए एप्लाई करेगा तब वह उसे सबसिडी देंगे यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। एक किसान जिसके कि पास एक बीघा या उससे कुछ अधिक खेत है उसके पास सिंचाई का बिल आता है 6, 8 या 10 रुपये। यह क्या बात हुई कि वह सबसिडी लेने के लिए दो रुपये का स्टाम्प खर्च करे और आपसे उस बारे में लिखापढ़ी करे। दस मर्तबा आप के पास उसके लिए अर्जी लेकर जाय तब उसका पैसा रिटर्न हो यह कहां की सूझबूझ है? आप स्वयं इस बात को जानते हैं कि नार्थ बिहार एक ऐसा एरिया है जहां बराबर

ड्रौट और फूड कंडीशंस रहती हैं और आपसे किसानों को पानी लेने की जरूरत पड़ती है और उसे पानी लेने में बिजली की सहायता लेनी पड़ती है तो उसका रेट आपने इतना बढ़ा दिया है कि साधारण किसान उसका उपयोग कर नहीं सकता है। क्यों नहीं सारे देश में रेट में एकरूपता लाने के लिए वहां नार्थ बिहार के बढ़े हुए रेट को आप घटाते हैं। जहां तक मुझे याद पड़ता है बजट के समय आपने कहा था कि हम बिजली का रेट घटाने पर विचार करेंगे लेकिन अभी तक उसे घटाया नहीं है और उसी पुराने बढ़े हुए रेट को चला रहे हैं। किसान ऐप्लाई करेंगे तब उस को 2, 4 रुपये सबसिडी देंगे यह बुद्धिमानी की बात मुझे मालूम नहीं होती है। नार्थ बिहार में जो फैमिन होता है वह गवर्नमेंट की वजह से होता है वहां और किसी वजह से नहीं होता है और उसकी वजह यह है कि वहां के गरीब किसान उन आवश्यक साधनों को महंगा होने के कारण उपयोग में नहीं ला सकते हैं।

एक पैम्फलेट में निकाला हुआ है कि वहां पर अन्न की क़ीमत क्या है? चावल 79 रुपये मन है सत्तू 80 रुपये मन है। जहां फैमिन कंडीशंस होती हैं वहां खाद्यान्न का दर कैसे होता है? दरअसल वहां पर बहुत से लोग एक वक्त भी पूरा पेट नहीं खा पाते हैं, आधा पेट और वह भी एक वक्त खाकर रह जाते हैं। आपको सुन कर आश्चर्य होगा और शायद हंसी भी आयेगी कि जिस आम को हम लोग खा कर फेंक देते हैं उस में से जो पौधा निकलता है उसे वहां के लोग इकट्ठा करके और उसको पीस कर खाने पर मजबूर हो रहे हैं। ऐसे फेमिन एरिया के डेवलपमेंट के लिए आप क्या करने जा रहे हैं? जरूरत इस बात की है कि ऐसे एरियाज के लिए जो आप डवलपमेंट एथारिटी नियुक्त कर उसे काफ़ी पैसे के साथ बनाय ताकि वह इस पर विचार कर सके कि फैमिन कंडीशन को कैसे दूर किया जा सकता है और उसके लिए वह सक्रिय और प्रभावशाली कदम भी उठा सके। इस बारे में वह पूरी छानबीन करके अपनी रिपोर्ट पेश करे और आप वहां पर सहायता कर सकें।

मैं यह नहीं कहता कि केवल मेरा ही इलाक़ा इस तरह का अभावग्रस्त इलाक़ा है, ऐसे और भी देश में इलाके होंगे जहां पर कि लोग मुसीबतें उठा रहे होंगे और उन सभी के लिए इस तरह की व्यवस्था की जानी चाहिए।

आप जानते हैं कि नार्थ बिहार प्रीडौमिनैंटली एग्रीकल्चरल इलाक़ा है वहां की पर कैपिटा आमदनी केवल 80 रुपया सालाना है जब कि बाक़ी हिन्दुस्तान की आमदनी पर कैपिटा 300 रुपये पर ऐनम से अधिक है। इसे आपने रिपोर्ट में देखा भी होगा। इससे आप स्वयं समझ सकते हैं कि वहां के लोग किस तरह से अपना जीवन यापन करते होंगे? इसी सदन में मेरे एक बलिया के भाई ने ऐसी बात कही थी। उस वक्त पंडित जी ने एक कमिशन मुकर्रर किया था। एक कमेटी बनाई गई थी जिसे कि इस बारे में रिपोर्ट देना था। उस कमेटी और उस की रिपोर्ट का क्या हुआ मुझे पता नहीं लेकिन आज जरूरत है कि ऐसे इलाके की जहां के निवासियों की आमदनी 80 रुपया पर कैपिटा पर इयर हो उनके उत्पादन की ओर सरकार विशेष रूप से ध्यान दे ताकि वे भी अन्य प्रान्तों के लोगों के समान ऊपर उठ सकें। इतनी कम आमदनी और कहीं भी नहीं है। इसी हाउस में जब डा० लोहिया ने यह कहा था कि हमारे देश के लोगों की आमदनी 13 पैसे या 17 पैसे है तो बड़ा बावैला मच गया था लेकिन यह आपकी अपनी फीगर्स से साबित हो रहा है कि नार्थ बिहार में और विशेष कर दरभंगा और छपरा के लोगों की आमदनी 12 पैसे या 13 पैसे से अधिक नहीं है। ऐसे ही उन्नत अभावग्रस्त और पिछड़े हुए इलाक़ों के लोगों को डेवलप करने के लिए एक ऐसी डैवलपमेंट एथारिटी कायम करनी चाहिए जो कि आवश्यक जांच पड़ताल करके आवश्यक कदम उठा सके ताकि वहां के लोगों को राहत मिल सके।